विक्रय पूर्व सूचना पत्र

Date: 15-Feb-23

Ref. No.: 5347782Pre.

बनाम:- BORROWER

KAMLESH SHARMA S/O RAM GOPAL SHARMA

DYODA CHOUD 82 NAIYON KA MOHALLA NAYLA 272 Jaipur Jaipur

Rajasthan 303012

KAMLESH SHARMA S/O RAM GOPAL SHARMA बनामः- Borrower :-

DYODA CHOUD 82 NAIYON KA MOHALLA NAYLA 272

Jaipur Jaipur Rajasthan 303012

GOPAL II C/O SONDA Co-Borrower-1:

DYODA CHOUD NAYLA 272 Jaipur Jaipur Rajasthan 303012

Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: MOOL CHAND C/O BADRI NARAYAN

MANDOLA KI DHANI DTODA CHAUD NAYLA 272 Jaipur Jaipur Rajasthan 303012

महोदय.

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यु मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:-

यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को

वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।

यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप क्रंमाक संख्या 1 KAMLESH SHARMA S/O RAM GOPAL SHARMA बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 GOPAL JI C/O SONDA , एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 MOOL CHAND C/O BADRI NARAYAN गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तो की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवम 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभृति दी गयी है ।

यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5347782 दिनांक 26-Nov-18 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 425000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन SWIFT DZIRE VDI FOR PERSONAL USE Maruti CON VEH जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ14CW8368 इंजन नम्बर D13A5081072 एवं चेसिस नम्बर MA3FJEB1S00618387 है, पर प्राप्त की गयी है । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तीनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 13270 /- रूपयें की 58 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों मे की जानी थी ।

यह कि आपके अनुरोध पर, माननीय आर.बी.आई के निर्दाशनुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपकों 5 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 29678 /- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को

समायोजित कर, कुल वित्तिय सुविधा 454678 /- रूपयें की हो गई हैं।

यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तो के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेंड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तीनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोनुसार विकय करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर

अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।

यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नही रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार./स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह मे दिनांक 11-Feb-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तीनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 854043 / – रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना-पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 854043/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तीनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सुचित रहे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपूर। 302001)

विक्रय पूर्व सूचना पत्र

Date: 15-Feb-23

Ref. No.: 5347782Pre.

बनाम:- CO-BORROWER

GOPAL JI C/O SONDA

DYODA CHOUD NAYLA 272 Jaipur Jaipur Rajasthan 303012

बनाम:- Borrower:- KAMLESH SHARMA C/O RAM GOPAL SHARMA

DYODA CHOUD 82 NAIYON KA MOHALLA NAYLA 272

Jaipur Jaipur Rajasthan 303012

GOPAL II C/O SONDA Co-Borrower-1:

DYODA CHOUD NAYLA 272 Jaipur Jaipur Rajasthan 303012

Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: MOOL CHAND C/O BADRI NARAYAN

MANDOLA KI DHANI DTODA CHAUD NAYLA 272 Jaipur Jaipur Rajasthan 303012

महोदय.

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यु मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:-

यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को

वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।

यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 KAMLESH SHARMA S/O RAM GOPAL SHARMA बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 GOPAL JI C/O SONDA , एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 MOOL CHAND C/O BADRI NARAYAN गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तो की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवम 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभृति दी गयी है ।

यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5347782 दिनांक 26-Nov-18 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 425000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन SWIFT DZIRE VDI FOR PERSONAL USE Maruti CON VEH जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ14CW8368 इंजन नम्बर D13A5081072 एवं चेसिस नम्बर MA3FJEB1S00618387 है, पर प्राप्त की गयी है । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तोनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 13270 /- रूपयें की 58 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों मे की जानी थी ।

यह कि आपके अनुरोध पर, माननीय आर.बी.आई के निर्दाशनुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपकों 5 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 29678 /- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को

समायोजित कर, कुल वित्तिय सुविधा 454678 /- रूपयें की हो गई हैं।

यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तो के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेंड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तीनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोनुसार विकय करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर

अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।

यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नही रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार./स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह मे दिनांक 11-Feb-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तीनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 854043 / – रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना-पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 854043/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तीनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सुचित रहे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपूर। 302001)

विक्रय पूर्व सूचना पत्र

Date: 15-Feb-23

Ref. No.: 5347782Pre.

बनामः- GTR

MOOL CHAND C/O BADRI NARAYAN

MANDOLA KI DHANI DTODA CHAUD NAYLA 272 Jaipur Jaipur

Rajasthan 303012

KAMLESH SHARMA C/O RAM GOPAL SHARMA बनामः- Borrower :-

DYODA CHOUD 82 NAIYON KA MOHALLA NAYLA 272

Jaipur Jaipur Rajasthan 303012

GOPAL II C/O SONDA Co-Borrower-1:

DYODA CHOUD NAYLA 272 Jaipur Jaipur Rajasthan 303012

Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: MOOL CHAND C/O BADRI NARAYAN

MANDOLA KI DHANI DTODA CHAUD NAYLA 272 Jaipur Jaipur Rajasthan 303012

महोदय.

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यु मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:-

यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को

वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।

यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप क्रंमाक संख्या 1 KAMLESH SHARMA S/O RAM GOPAL SHARMA बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 GOPAL JI C/O SONDA , एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 MOOL CHAND C/O BADRI NARAYAN गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तो की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवम 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभृति दी गयी है ।

यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5347782 दिनांक 26-Nov-18 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 425000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन SWIFT DZIRE VDI FOR PERSONAL USE Maruti CON VEH जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ14CW8368 इंजन नम्बर D13A5081072 एवं चेसिस नम्बर MA3FJEB1S00618387 है, पर प्राप्त की गयी है । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तीनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 13270 /- रूपयें की 58 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों मे की जानी थी ।

यह कि आपके अनुरोध पर, माननीय आर.बी.आई के निर्दाशनुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपकों 5 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 29678 /- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को

समायोजित कर, कुल वित्तिय सुविधा 454678 /- रूपयें की हो गई हैं।

यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तो के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेंड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तीनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोनुसार विकय करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर

अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।

यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नही रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार./स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह मे दिनांक 11-Feb-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तीनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 854043 / – रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना-पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 854043/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तीनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सुचित रहे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपूर। 302001)